# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
## (बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
## राजस्व अपील संख्याः 06/2022
## दायर दिनांकः 28.04.2022
## निर्णय दिनांक 12.11.2024

**—:अनवानः—**

जयसिंह पिता भंवरसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गोलाया तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

**— अपीलान्ट**

**बनाम**

1. कुबेरसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गोलाया तहसील खमनोर जिला राजसमन्द
2. अमरसिह पिता किशनसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गोलाया तहसील खमनोर जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य तहसीलदार जी खमनोर तहसील खमनोर

**— रेस्पोडेन्टगण**

**अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार खमनोर, दिनांक 13.04.2022 मुकदमा नम्बर 02 सन् 2020 रास्ता विवाद, बअनवान कुबेरसिंह वगैरा बनाम जयसिंह वगैरा धारा 75 एल आर एक्ट**

**उपस्थितः—**

1. श्री सुखलाल बैरवा, अधिवक्ता अपीलांट, उपस्थित
2. श्री अर्जुन सिंह मोजावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 उपस्थित
3. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 उपस्थित

**:: निर्णय ::**

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेंट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलार्थी की लगी हुई फाटक को हटाने का आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। रेस्पोण्डेंट/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने मकान के व अपीलार्थी/अप्रार्थी के मकान के पडौस भी नहीं बताये फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजर अंदाज, कर जो आदेश दिया वह अवैद्य है। मौके की वास्तविक स्थिति यह है कि रेस्पोण्डेंट/प्रार्थी का मकान अप्रार्थीगण के मकान के उत्तर में स्थित है। रेस्पोण्डेंट/प्रार्थी के मकान के दक्षिण में अप्रार्थीगण का मकान व रास्ता है जो पूर्वी मुखी है व मुख्य दरवाजे के आगे अप्रार्थीगण की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण मवेशी व बकरियों आदि बांधते है व तीस वर्षों से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलार्थी के मुख्य द्वार के आगे जो भूमि हे उसके उत्तरी दिशा में

न्यायालय जिला कलक्टर

रेस्पोण्डेंट/प्रार्थी के मकान की फाटक लगी हुई है। उसके दक्षिणी दिशा में अप्रार्थीगण/अपीलार्थी अपने मवेशी पशु आदि बांधते है। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में तीस वर्षों से अपीलांट की फाटक लगा रखी है ताकि हिंसक जानवर आकर अपीलार्थी के पशुओ को नुकसान नहीं पहुँचावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यो की अपने स्वयं द्वारा निरीक्षण नहीं कर मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुऐ अपीलार्थी की लगी फाटक को हटाने का आदेश देकर तथ्यात्मक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.04.2022 को अपीलार्थीगण व उसके अधिवक्ता को बिना बहस सुने, बिना सुचित किये उनकी अनुपस्थिति में राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलार्थी की बेजानकारी में निर्णय पारित करने में वैधानिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय दिया है जबकि उक्त रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी रेस्पोण्डेंट के बताये बनाई गई है जो पढने से ही साबित है। अपीलार्थीगण को कोई सूचना ही नहीं दी न ही अपीलार्थी या गाँव के मौतबीर के हस्ताक्षर है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो को नजर अंदाज कर निर्णय पारित करने में विधिक भूल फरमाई है। पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त स्थल की पर्चा मौका रिपोर्ट बनाई उसमें वादग्रस्त स्थल की नपती भी नहीं की है। नही अपीलार्थी के मकान के आगे स्थित भूमि जिसमें अपीलार्थी पशु आदि बांधता है की लम्बाई चौडाई अपने नजरी नक्शे में दर्शायी है। पटवारी हल्का ने मौके की वास्तविक स्थिति को प्रार्थी रेस्पोण्डेंट से मिलकर छपवाया है जबकि विवादग्रस्त स्थल मौके पर 40X13 फीट है जो अपीलार्थी के हिस्से में आया है व अपीलार्थी ने ही अपने हिस्से की भुमि पर उक्त फाटक लगा रखी है। अधिनस्थ न्यायलय ने स्वयं मौके का निरीक्षण नहीं किया है न ही पटवारी हल्का ने गाँव के स्वतन्त्र मौतबिरान की उपस्थिति में पर्चा मौका बनाया है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2022 को अपास्त फरमाया जावे ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह मोजावत ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर ने रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलार्थी की लगी हुई फाटक को हटाने का आदेश दिया है। जो विधि सम्मत एवं योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित स्थल का स्वयं निरीक्षण कर उक्त आदेश पारित किया जो वैध है। अप्रार्थीगण की वहां कोई भूमि नहीं है। रेस्पोडेन्ट/प्राथी के मकान में जाने का एकमात्र रास्ता है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने विवादित स्थल का निरिक्षण कर एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उक्त निर्णय दिया है जो विधि सम्मत एवं योग्य है। उक्त रिपोर्ट पटवारी ने विवादित स्थल का सम्पूर्ण निरीक्षण कर दोनो पक्षो की उपस्थिति में बनायी है एवं अधिनस्थ न्यायालय में भी स्वयं विवादित स्थल का निरीक्षण कर उक्त आदेश पारित किया, जो योग्य है। पटवारी ने विवादित स्थल पर उपस्थित हो निरीक्षण कर उचित रिपोर्ट बनायी है, किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं छिपाये है एवं उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट / प्रार्थी के मकान में जाने का एकमात्र रास्ता है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने मौके का निरीक्षण किया एवं पटवारी हल्का ने गांव के स्वतंत्र मौतबीर एवं दोनो पक्षो की उपस्थिति में पर्चा मौका बनाया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर सव्यय खारीज फरमाई जावें। तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने जवाब प्रस्तुत कर

न्यायालय जिला कलक्टर

निवेदन किया कि उक्त आदेश विधि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य सबुत व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर विधि सम्मत् प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना करते हुए पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा मनगढ़त तथ्य वर्णित किये गये है, वक्त आदेश मौका पर्चा रिपोर्ट साक्ष्य, सबुत प्रस्तुत व प्रस्तुत दस्तावेजों कर अवलोकन कर विधि सम्मत् प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना करते हुए पारित किया गया है। अत. निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सव्यय खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में यह बताया गया कि रेस्पोण्डेंट/प्रार्थी के मकान के दक्षिण में अप्रार्थीगण का मकान व रास्ता है जो पूर्वी मुखी है व मुख्य दरवाजे के आगे अप्रार्थीगण की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण मवेशी व बकरियों आदि बांधते है व तीस वर्षों से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलार्थी के मुख्य द्वार के आगे जो भूमि हे उसके उत्तरी दिशा में रेस्पोण्डेंट/प्रार्थी के मकान की फाटक लगी हुई है। उसके दक्षिणी दिशा में अप्रार्थीगण/अपीलार्थी अपने मवेशी पशु आदि बांधते है। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में तीस वर्षों से अपीलांट की फाटक लगा रखी है ताकि हिंसक जानवर आकर अपीलार्थी के पशुओ को नुकसान नहीं पहुँचावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यो की अपने स्वयं द्वारा निरीक्षण नहीं कर मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुऐ अपीलार्थी की लगी फाटक को हटाने का आदेश देकर तथ्यात्मक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.04.2022 को अपीलार्थीगण व उसके अधिवक्ता को बिना बहस सुने, बिना सुचित किये उनकी अनुपस्थिति में राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलार्थी की बेजानकारी में निर्णय पारित करने में वैधानिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय दिया है जबकि उक्त रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी रेस्पोण्डेंट के बताये बनाई गई है जो पढने से ही साबित है। अपीलार्थीगण को कोई सूचना ही नहीं दी न ही अपीलार्थी या गाँव के मौतबीर के हस्ताक्षर है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो को नजर अंदाज कर निर्णय पारित करने में विधिक भूल फरमाई है। पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त स्थल की पर्चा मौका रिपोर्ट बनाई उसमें वादग्रस्त स्थल की नपती भी नहीं की है। नही अपीलार्थी के मकान के आगे स्थित भूमि जिसमें अपीलार्थी पशु आदि बांधता है की लम्बाई चौडाई अपने नजरी नक्शे में दर्शायी है। पटवारी हल्का ने मौके की वास्तविक स्थिति को प्रार्थी रेस्पोण्डेंट से मिलकर छपवाया है जबकि विवादग्रस्त स्थल मौके पर 40X13 फीट है जो अपीलार्थी के हिस्से में आया है व अपीलार्थी ने ही अपने हिस्से की भूमि पर उक्त फाटक लगा रखी है। अधिनस्थ न्यायलय ने स्वयं मौके का निरीक्षण नहीं किया है न ही पटवारी हल्का ने गाँव के स्वतन्त्र मौतबिरान की उपस्थिति में पर्चा मौका बनाया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर ने रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलार्थी की लगी हुई फाटक को हटाने का आदेश दिया है। जो विधि सम्मत एवं योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित स्थल का स्वयं निरीक्षण कर उक्त आदेश पारित किया जो वैध है। अप्रार्थीगण की वहां कोई भूमि नहीं है। रेस्पोडेन्ट/प्राथी के मकान में जाने का एकमात्र रास्ता है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने विवादित स्थल का निरीक्षण ा कर एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उक्त निर्णय दिया है जो विधि सम्मत एवं योग्य है। उक्त रिपोर्ट पटवारी ने विवादित स्थल का सम्पूर्ण निरीक्षण कर दोनो पक्षो की उपस्थिति में बनायी है एवं अधिनस्थ न्यायालय में भी स्वयं विवादित स्थल का निरीक्षण कर उक्त आदेश पारित किया, जो योग्य है। पटवारी ने विवादित स्थल पर

न्यायालय जिला कलक्टर

उपस्थित हो निरीक्षण कर उचित रिपोर्ट बनायी है, किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं छिपाये है एवं उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के मकान में जाने का एकमात्र रास्ता है। किसी प्रकार की अपीलार्थी के हिस्से की नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने मौके का निरीक्षण किया एवं पटवारी हल्का ने गांव के स्वतंत्र मौतबीर एवं दोनो पक्षो की उपस्थिति में पर्चा मौका बनाया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर सव्यय खारीज फरमाई जावें।

राजकिय अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आदेश विधि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य सबुत व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर विधि सम्मत प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना करते हुए पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा मनगढ़त तथ्य वर्णित किये गये है, वक्त आदेश मौका पर्चा रिपोर्ट साक्ष्य सबुत प्रस्तुत व प्रस्तुत दस्तावेजों कर अवलोकन कर विधी सम्मत् प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना करते हुए पारित किया गया है। अत. निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उका अपील सव्यय खारिज फरमायी जायें।

मैंनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समूचित सुनवाई नहीं कि जाकर एवं मौके की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण नहीं कर आदेश पारित किया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकार को तलब कर उभय पक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि स्वयं अपीलार्थी के द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान 08 बार अपनी उपस्थिति दी गई। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत व नियमानुकुल होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**::आदेश::**

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर द्वारा पारित किया गया आदेश यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, खमनोर को लौटायी जावे।

12/11/24

**(बाल मुकुन्द असावा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

**निर्णय आज दिनांकः 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

**(बाल मुकुन्द असावा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**